संoसंo—9 / आo—01—43 / 2011

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डाo अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, चिo पदाo अतिo प्राo स्वाo केन्द्र, कसार, शेखपुरा** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:—

उक्त **डाo अमरेन्द्र कुमार सिन्हा** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डाo अमरेन्द्र कुमार सिन्हा असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **डाo आरo केo सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2** होगें ।

डाo अमरेन्द्र कुमार सिन्हा को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 745 (7) / स्वाo, पटना, दिनांक : 13/07/2018

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी **डाo आरo केo सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 745 (7) / स्वाo, पटना, दिनांक : 13/07/2018

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति , **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 745 (7) / स्वाo, पटना, दिनांक : 13/07/2018

प्रतिलिपिः **डाo अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, चिo पदाo अतिo प्राo स्वाo केन्द्र, कसार, शेखपुरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

D:\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx

अनुबंध

1. नाम	–	डा0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा
2. पदनाम	–	चिकित्सा पदाधिकारी
3. पदस्थापन स्थान	–	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कसार
4. वेतनमान	–	....
5. सेवानिवृति कि तिथि	–	....

पूरक आरोप पत्र

आपके विरूद्ध आरोप है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए आपके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1260(18) दिनांक 23.10.90 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गइ। निबंधित डाक एवं प्रेसविज्ञप्ति द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी आप विभागीय कार्यवाही के क्रम में कभी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधिगम के प्रमाणित आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचति करते हुए पुनः अवसर दिया गया। किंतु आपका प्रत्युतर अबतक अप्राप्त है।

इस प्रकार आप वर्ष 1989 से आज तक (इस आरोप पत्र तथा संकल्प के निर्गत की तिथि तक) अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। आपको विभागीय अधिसूचना सं0 983(18) दिनांक 29.08. 1990 द्वारा निलंबित किया गया था, तथा अधिसूचना सं0 1766(9) दिनांक 05.10.2004 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। निलंबनमुक्ति के उपरांत भी आपके द्वारा अबतक अपनी कर्तव्यस्थल पर योगदान नहीं किया गया है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि पॉच वर्षो से अधिक है तथा आपके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का मामला बनता है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

जिसके लिए आप दण्ड के भागी है।

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

साक्ष्य तालिका:–

1. संकल्प सं0 1260(18) दिनांक 23.10.1990 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से स्वंधित सभी अभिलेख।
2. प्रेस विज्ञप्ति संबंधी प्रेस कतरन।